13.03.24

[illegible] वादी प्रथी वकूलान [illegible]
उपस्थित/अनुपस्थित/श्रीमान पीठासीन
अधिकारी महोदय केर पदयात्रे हो
पर है! अतः पत्रावली वास्ते पुकार
दिनांक 7/5/24 पेश हो

7/5/24

[illegible] वादी प्रथी वकूलान [illegible]
उपस्थित/अनुपस्थित [illegible]
अधिकारी महोदय केर पदयात्रे है
पर है! अतः पत्रावली वास्ते पुकार
दिनांक 24/5/24 पेश हो

24/05/24 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकूलान पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 29.05.24 को पेश हो।

29/05/24 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। लिहाजा प्रथम नाम [illegible] जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी ... बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव)
उपजिलाधिकारी
[illegible] (जालौन)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्याः 33 / 23 दायर दिनांकः 22.09.23
जीसीएमएस नं. 2023 / 289

जयशिव शर्मा पुत्र श्री गिरधर जाति ब्राह्मण नि. शहजादपुरा, तह. भुसावर (भरतपुर) राज.

—प्रार्थी

बनाम

1.राज. सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर, जिला भरतपुर राज.
2.शान्ति 3.केदार 4.खुशीराम पुत्रान श्री गिरधर जातियान ब्राह्मण नि. शहजादपुरा, तह. भुसावर (भरतपुर) राज.

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता— 1.श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा —प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार —अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 29.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 68 रकबा 0.51, 74 रकबा 0.10, 76 रकबा 0.77, 86 रकबा 0.97 कुल किता 4 रकबा 2.35 हैक्टे. वाके ग्राम शहजादपुरा तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसके संपूर्ण भाग में से 1/4 वें हिस्से का खातेदार उक्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है।

आ.ख.नं. 68 रकबा 0.51, 74 रकबा 0.10, 76 रकबा 0.77, 86 रकबा 0.97 हैक्टे. कुल किता 4 रकबा 2.35 हैक्टे. की आराजी का खातेदार प्रार्थी है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम जयशिव के स्थान पर शिवशंकर पुत्र गिरधर सहवन की गलती से दर्ज किया हुआ है। जयशिव पुत्र गिरधर व शिवशंकर पुत्र गिरधर अलग—2 दो नाम से दो व्यक्ति ग्राम शहजादपुरा में निवास नहीं करते हैं। बल्कि जयशिव शर्मा पुत्र गिरधर के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों की सहवन गलती से शिवशंकर पुत्र गिरधर दर्ज कर दिया है। जिससे प्रार्थी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा कृषि भूमि पर प्रदत्त सहायताओं से भी वंचित होना पड़ रहा है। जिसके बाबत प्रार्थी कई बार अप्रार्थी के कार्यालय में गया लेकिन अप्रार्थी ने भी प्रार्थी को टालमटोल करते हुये कार्यालय से लौटा दिया व गलत इन्द्राज को दुरूस्त नहीं किया।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रा. पत्र स्वीकार कर नाम शुद्ध किये जाने की कृपा करें।

हमने प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक की गई। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि शिवशंकर पुत्र गिरधर एवं जयशिव शर्मा पुत्र गिरधर एक ही व्यक्ति है।

हमने बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत तहसीलदार भुसावर की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर प्रा. पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 68 रकबा 0.51, 74 रकबा 0.10, 76 रकबा 0.77, 86 रकबा 0.97 हैक्टे. वाके ग्राम शहजादपुरा में शिवशंकर पुत्र गिरधर को दुरूस्त कर जयशिव शर्मा पुत्र गिरधर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)